# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

## ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' की अवधि बढाई

## कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे भार को 31 दिसम्बर तक नियमित कराया जा सकता है

जयपुर, 25 नवम्बर। कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू की हुई "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की अवधि को 31 दिसम्बर, 2016 बढा दिया गया है। अभी यह योजना 30 नवम्बर, 2016 तक के लिए लागू की हुई है। 31 दिसम्बर, 2016 के बाद भार सत्यापन के लिये विजीलेन्स चैकिंग अभियान चलाया जायेगा।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए योजना की की अवधि को 31 दिसम्बर, 2016 तक बढाने का निर्णय लिया गया है ताकि अधिक से अधिक कृषि उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सके। अनाधिकृत बढे हुए भार को नियमित कराने से विद्युत वितरण निगमों को पूरी और अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर कृषि उपभोक्ताओं को भी फसल में सिंचाई के समय ट्रांसफार्मर व मोटर जलने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।

**योजना के प्रमुख प्रावधान**

– "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जायेगा तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जायेगी एवं मात्र धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जायेगा।

– जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।

– कृषि उपभोक्ता जिनके कृषि कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है अथवा जिनके कृषि कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है और वे इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढे हुये भार पर नियमानुसार राशि वसूल की जाएगी।

– योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि व नई 11के.वी. लाईन डालने एवं सब–स्टेशन का खर्च विद्युत वितरण निगमों द्वारा वहन किया जायेगा।

– ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

———————

**प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 486/2016**